



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5623

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 41085 / 2025

आशीष मणि

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी

आवेदक पक्ष के अधिवक्ता

: मनु शर्मा

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता:

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह तथा राज्य-प्रतिवादी के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

यह जमानत आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत अभियुक्त-आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 72 वर्ष 2025, धारा 140(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना गोरई, जनपद अलीगढ़ में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है तथा वह दिनांक 02.09.2025 से जेल में निरुद्ध है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त जयवीर सिंह को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 06.01.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 45643 वर्ष 2025 में जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी कहा गया कि आवेदक के विरुद्ध एक आपराधिक पूर्ववृत्त है, जिसका स्पष्टीकरण जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथपत्र में दिया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय से पलायन करने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विपरीत पक्ष में, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दंड की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति, गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका तथा प्रथम दृष्टया मामले को दृष्टिगत रखते हुए, किन्तु वाद के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, यह न्यायालय मानता है कि जमानत का मामला बनता है।

अतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक आशीष मणि को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
 3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित/डराए-धमकाएगा नहीं तथा विचारण में सहयोग करेगा।
 4. आवेदक प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसके व्यक्तिगत उपस्थिति से अधिवक्ता के माध्यम से छूट न प्रदान की जाए।
- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अवर न्यायालय जमानत निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(अशुतोष श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति)

09 जनवरी 2026

दीपक/